

राजस्थान - सरकार
आबकारी विभाग

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी -----

क्रमांक -----

दिनांक : -----

समारोह में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर सेवन करने हेतु आकस्मिक अनुज्ञप्ति
(राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 48 (एफ.) सपठित 54 के अन्तर्गत)

1. अनुज्ञप्तिधारक का नाम व पूरा पता -----
2. समारोह का प्रयोजन -----
3. समारोह स्थल का पूरा पता -----
4. अवधि जिसके लिए अनुमति प्रभावी रहेगी -----
5. स्थानीय अनुज्ञाधारी का नाम -----
जिससे माल क्रय करना होगा।
6. समारोह में सेवन किये जाने वाले -----
माल की किस्म एवं मात्रा
7. समारोह में सम्मिलित होने वाले -----
व्यक्तियों की अनुमानित संख्या
8. अनुज्ञप्ति फीस एवं अन्य देय राशि -----
जमा होने का विवरण

अनुज्ञप्तिधारक के हस्ताक्षर

जिला आबकारी अधिकारी

नोट :- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित शुष्क दिवस की पालना आवश्यक रूप से की जावे तथा अचानक घोषित शुष्क दिवस पर उक्त आकस्मिक अनुज्ञप्ति प्रभावी नहीं मानी जावेगी।